ग्वालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 50 शब्द,प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रूपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	3 DAYS 100/-	15 DAYS 500/-	1 MONTH 1000/-
डिस्पले क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	1 DAYS 500/-	7 DAYS 1800/-	1 MONTH 3000/-
पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-	
गुमशुदा, जन्मदिन, बधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-	
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-	
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate		
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रूपये अतिरिक्त शब्द	Rs. 500/-		

Contact:-
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार- पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.

गर्भवती महिला को अगवा करने वाले आरोपियों में एक को पुलिस ने पकड़ा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 24 अक्टूबर तिघरा क्षेत्र से गर्भवती महिला का बंदूक की नोक पर अपहरण करने वाले दस हजार के एक इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की बिटारा ब्रेजा कार को जप्त किया हैं।

गौरतलब है कि बृजलाल गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जा के पुत्र गिर्राज गुर्जर का विवाह वर्ष 2024 में अंजू गुर्जर निवासी सेसईपुरा, जिला श्योपुर के साथ हुआ था। विवाह के समय जोगेन्द्र उर्फ जोगा उर्फ योगी गुर्जर निवासी तिलौधा, सरायछौला, जिला मुरैना ने विवाह का विरोध करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। 8 अक्टूबर की शाम जोगेन्द्र उर्फ योगी गुर्जर अपने साथियों अंके गुर्जर, कल्ली उर्फ किलेदार गुर्जर, डीपी गुर्जर, तहसीला गुर्जर, शेरू गुर्जर, भोला गुर्जर, रवि गुर्जर, सत्यवीर गुर्जर, प्रदीप गुर्जर एवं अन्य 4-5 लोगों के साथ बंदूक लेकर फरियादी के घर पहुँचा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आरोपियों ने फरियादी के परिवारजनों से मारपीट करते हुए उसकी बहू अंजू गुर्जर जो कि गर्भवती थी को जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उठा ले गए। गांव में हुई इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई मामले कि पुलिस में रिपोर्ट भी की गई थी। तब से आरोपित बदमाशों को पकडना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था और पुलिस जंगलों में सर्चिंग भी कर रही थी।

पुलिस को सूचना मिली कि उक्त प्रकरण का एक 10 हजार का इनामी आरोपी अंके गुर्जर एक सफेद रंग की बिटारा ब्रेज़ा कार से तिघरा क्षेत्र में घूम रहा है। पुरानी छावनी एवं तिघरा पुलिस ने घेराबंदी की तो रामप्रसाद का पुरा से कुलैथ चौराहे की ओर जा रही कार को पीछा कर ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़कर, पूछताछ कि जिस पर उसने अपना नाम अंकित उर्फ अंके गुर्जर पुत्र राजवीर गुर्जर उम्र 18 साल निवासी ग्राम तिलौधा थाना सरायछौला जिला मुरैना का होना बताया। पकडे गए आरोपी ने अपने साथियां सहित घटना घटित करना स्वीकार किया हैं। साथ में ली हुई सफेद रंग की बिटारा ब्रेजा कार के संबध में पूछताछ करने पर अपने भाई जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र उर्फ योगी के दोस्त की होना बताया। पुलिस अब उसके फरार साथियों के ठिकानों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

यातायात पुलिस ने इंदरगंज क्षेत्र के मार्गो पर किया पैदल भ्रमण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 24 अक्टूबर. पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(मध्य/यातायात) अनु बेनिवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजीत सिंह चौहान के मार्ग दर्शन में यातायत के सुचारू रूप से बनाये रखने के उद्देश्य से राजीव प्लाजा रोड़ पर लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए आज यातायात बल के साथ पैदल भ्रमण किया गया ।

इस पैदल भ्रमण के दौरान रॉग साईट वाहन चला कर आने वाहन चालकों और बीच रोड़ पर खड़ी 09 वाहनों के चालान बनाए गये और उन्हे भविष्य में नो-पार्किंग में वाहन खडा न करने , रॉन्ग साईट वाहन न चलाने एवं निर्धारित बनी पार्किंग में वाहन खडा करने की समझाइश दी गई ।

इसी क्रम में वाहनों की एसेसरीज बेचने वाले कई दुकानकार अपनी दुकान के सामने रोड़ पर वाहनों को खडा करके एसेसरीज का कार्य करते पाये गये उन्हे भी रोड़ पर वाहन खड़ा न करने एवं एसेसरीज का कार्य न करने की समझायिश दी गई ।

आज की गई कार्यवाही में थाना प्रभारी यातायात कम्पू धनंजय शर्मा,सूबेदार राधाबल्लभ गुर्जर,नगर निगम क्रेन 3 एवं यातायात थाना का अन्य बल उपस्थित रहा ।

दीपावली पर 16 वर्षीय किशोरी घर से संदिग्ध परिस्थिति में लापता

ग्वालियर 24 अक्टूबर. छोटी दीपावली पर 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थिति में घर से लापता हो गई। घटना चीनोर इलाके की है। पांच दिन तक खोजबीन करने के बाद भी परिजनों को जब बिटिया का कुछ पता नहीं लगा, तो उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत की, जिनके द्वारा सोशल मीडिया फ्रेंड पर अपनी बिटिया को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का शक जताया है। जिस पर पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर लापता किशोरी व संदेही की तलाश शुरू कर दी है। चीनोर के जाटव मोहल्ले में रहने वाली महिला ने बीती शाम चीनोर थाने पहुंचकर सूचना दी, कि बीती 19 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के लगभग उसकी 16 वर्षीय बिटिया किसी को बताए बिना अचानक घर से गायब हो गई। जब काफी देर तक वह नजर नहीं आई, तो उन्होंने आस-पड़ोस सहित सभी परिचितों व रिश्तेदारों के यहां उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारे पक्षकार नीरज कुमार दिनोदिया (सविता) पुत्र श्री रामबाबू सविता निवासी जगताप की गोठ, दही मण्डी, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर का एक पुत्र अंकित दिनोदिया, आयु 28 वर्ष है, जो कि गलत संगत में फंस गया है वह नशे पत्ते करता है तथा घर का सामान भी उठाकर ले जाता है। अंकित दिनोदिया से हमारे पक्षकार का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है कोई भी व्यक्ति उससे किसी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है या कोई राशि उधार देता है तो उसकेलिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, हमारे पक्षकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक 08-10-2025

नीरज कुमार दिनोदिया (सविता) पुत्र श्री रामबाबू सविता निवासी जगताप की गोठ, दही मण्डी, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर
द्वारा अभिभाषक
सौरभ कुमार जैन, एडवोकेट्स
सरस्वती लॉयर्स चैम्बर खादी ग्रामोद्योग के सामने भोसले का बाड़ा,पाटनकर बाजार लश्कर ग्वालियर, पिन-474001

उपनाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि में आदर्श जैन मेरी पुत्री का पहले नाम **अनायरा ANAYRA** था किन्तु अब मैंने अपनी पुत्री का सही नाम **अनायरा जैन ANAYRA JAIN** रख लिया है। अत: अब मेरी पुत्री को भविष्य में **अनायरा जैन ANAYRA JAIN** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये।

नाम
आदर्श जैन (पुत्री पिता श्री-सुनील जैन)
निवासी- 05/49, भगवती पैलेस
ANAYRA JAIN
गुप्ता बाजार, भिण्ड (म.प्र.) 477001

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री लोकेन्द्र श्रीवास पुत्र श्री सुग्रीव श्रीवास निवासी भारतीय स्टेट बैंक के पीछे, गंगाराम का पुरा, बामौरखुर्द, तहसील बामौर, जिला मुरैना, म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 920 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 137/मिन-3 (नवीन सर्वे क्रमांक 137/25/1) राजस्व ग्राम जैतपुर नूराबाद का भाग होकर वार्ड क्र. 07, एम.डी.एस. पुरानी कॉलोनी, शांति नगर, बन्द मौहल्ला, विजय नगर बानमौर, तहसील बानमौर, जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:-पूर्व में-भोला का प्लॉट, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में-जितेन्द्र तौमर का प्लॉट, दक्षिण में-बीरेन्द्र सिंह का प्लॉट की भूमि स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक ने सम्पत्ति स्वामी श्री दारा सिंह विधूड़ी पुत्र स्व. श्री विजय सिंह निवासी विजय नगर बानमौर, जिला मुरैना, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन नं. MP25792020A1280255 से दिनांक 12/06/2020 को क्रय कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेंटर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास निर्माण ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, भूमि सर्वे क्रमांक 137/मिन-3 क्षेत्रफल 0.557 हेक्टेयर को पूर्व विक्रेता श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलराम जाति जाटव अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त, स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा उक्त सम्पत्ति से विक्रय-पत्र का निष्पादन विक्रेता ने अपने भाग की भूमि के किया। यह कि, उक्त संपत्ति का पूर्व मूल विक्रय पत्र ग्रंथ क्रमांक 9070 दस्तावेज क्रमांक 4676 दिनांक 29/03/2013 आवेदक से कहीं गुम हो गया है जिसका आवेदक अथवा उसके संज्ञान में किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक: 23-10-2025

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय - ओशो ध्यान केन्द्र के पास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

श्रीमती विमलेश दीक्षित पत्नी श्री दिनेश दीक्षित के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.22, स्थित नेवी नगर, ग्राम मालनपुर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.63 में स्थित है जिसका सम्पत्ति क्र. 1004565337 है जो भूमि सर्वे क्र.967/मिन-1 ग्राम मालनपुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 760 वर्गफीट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भूखण्ड क्र.17. पश्चिम में रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड क्र.11 एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.21 है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री पूरन सिंह सिकरवार पुत्र श्री कोक सिंह सिकरवार एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री पूरन सिंह सिकरवार का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, श्रीमती उमा सिकरवार पत्नी स्व. श्री पूरन सिंह सिकरवार, श्री अभिमन्यु सिकरवार एवं श्री अभिषेक सिंह सिकरवार पुत्रगण स्व. श्री पूरन सिंह सिकरवार उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती उमा सिकरवार एवं श्री अभिमन्यु सिकरवार द्वारा सम्पत्ति रकवा 0.418 हैक्टेयर एरिया श्री रामलखन प्रजापति पुत्र श्री रतनलाल प्रजापति को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602021ए1747709 दिनांक 02.09.2021 से विक्रय की गई। श्री रामलखन प्रजापति द्वारा सम्पत्ति 760 वर्गफुट एरिया श्रीमती विमलेश दीक्षित पत्नी श्री दिनेश दीक्षित को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602023ए 11419259 दिनांक 31.01.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती विमलेश दीक्षित द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान बन्धन बैंक लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री पूरन सिंह सिकरवार के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि समाप्त होने उपरांत वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री रामबटोली पुत्र श्री मंगलिया एवं श्रीमती रामकली बाई पत्नी श्री रामबटोली कुशवाह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम पिछोर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.03 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.852 / 1/2 ग्राम पिछोर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में रास्ता, पश्चिम में श्री रामबटोली कुशवाह की शेष सम्पत्ति, उत्तर में श्री रामबटोली कुशवाह की शेष सम्पत्ति एवं दक्षिण में रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रामबटोली पुत्र श्री मंगलिया एवं प्रेमवती पुत्री श्री मंगलिया के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रामबटोली द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती रामकली बाई पत्नी श्री रामबटोली कुशवाह के हित में सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व का कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री रामबटोली एवं श्रीमती रामकली बाई द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आईटीएम और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुआ एमओयू साइन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 24 अक्टूबर. आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के बीच एमओयू साइन किया गया। इसके साथ ही देश की बास्केटबॉल प्रतिभाओं को तराशकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने हेतु बीएफआई द्वारा पहली 'बास्केटबॉल अकादमी' को भी स्थापित किया जा रहा है। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के तुरारी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों ही ओर से आधिकारिक प्रतिनिधियों द्वारा एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। जहां आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. योगेश उपाध्याय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वहीं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्रो-चांसलर डॉ. दौलत सिंह चैहान, रजिस्ट्रार डॉ. ओमवीर सिंह, आईटीएम स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एचओडी डॉ. विपिन तिवारी सहित बीएफआई के अधिकारी और प्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद रहे।

आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए एमओयू के तहत अकादमी के एथलीटों के समग्र, उच्च-प्रदर्शन विकास की अटूट जिम्मेदारी संस्था द्वारा ली गई है। संस्था सफलता के लिए एक ऐसा उत्कृष्ट इकोसिस्टम विकसित कर रही है, जो खेलों में उत्कृष्टता को शैक्षणिक अनुशासन के साथ समाहित करेगा।

एमओयू के दौरान बीएफआई के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल ने कहा कि यह साझेदारी केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि यह केन्द्र हमारे युवाओं के लिए एक मजबूत लॉन्चपैड तैयार करेगा, जिससे वे होनहार खिलाड़ियों से वैश्विक मंच पर भारत के एलीट प्रतिनिधि बनने की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे।

एमओयू के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय ने इस पहल को समाज और देश में खेल जगत के प्रति आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक बताया।

उन्होंने बताया कि स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में वर्तमान में चार राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल कोर्ट हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक वुडन इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट बहुत ही जल्द खिलाड़ियों के लिए शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईटीएम बास्केटबॉल की वुमेन और मैन खिलाड़ियों की टीमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही लगातार गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम करती आ रही है। इसके साथ ही हाल ही में आईटीएम बास्केटबॉल टीम की महिला खिलाड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए सिलेक्ट हुईं जिन्होंने जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मध्य और उत्तर क्षेत्र की यह पहली अकादमी है.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 09, स्थान रानीपुरा ग्वा0 मे स्थित है जो कि प्रमोद राठौर,उमेश राठौर/ताराचन्द्र राठौर, पिंकी राठौर/मुकेश राठौर के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 155 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602019ए1219894 दिनांक 29.03.2022 से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला क्षे.क्र02, पर दिनांक 24.10.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 61/2010/57621/57835 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 24.10.2025

आवेदक-रीवनवास सिंह/अमर सिंह राठौर, पता-रानीपुरा ग्वा0
मो0-9752244473

रेलवे ने 57 .50 करोड़ के विकास कार्यों को दी स्वीकृति

ग्वालियर 24 अक्टूबर. ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रेक के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर दीवार खड़ी करेगी। इस दीवार से रेलवे की हाईस्पीड ट्रेनों की सुरक्षा मजबूत होगी। दीवार बनने से अपराधीतत्व एवं अनाधिकृत वैंडर्स आसानी से ट्रेन तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जानवरों की भी सुरक्षा होगी। जो लोग रेलवे ट्रैक पर जाकर सोसाइड कर लेते हैं, उनकी भी जानमाल की रक्षा होगी। इसे लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया था। दीवार का काम स्वीकृत होने पर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। 5 किलोमीटर की एक दीवार की लागत 4.25 करोड़ होगी, यानि दोनों दीवार बनाने पर रेलवे 8.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहां बता दें कि आउटर इलाके से सबसे ज्यादा बेसहारा मवेशी ट्रेक तक पहुंच जाते हैं, जिस तेजी से हाइस्पीड ट्रेनों की संख्या और गति बढ़ रही है, इनके सामने यदि मवेशी आ जाएं तो ड्रिलमेंट का खतरा रहता है। आउटर इलाके से मवेशियों के अलावा अपराधी तत्व एवं अनाधिकृत वेंडर भी घुसपैठ करते हैं। बेटिकट यात्रियों को भी कार्रवाई से बचने के लिए आउटर पर उतरने का मौका मिल जाता है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं LOPENI LOTHA W/o Army Number 4427759K, RANK-NK T. ENIBEMO LOTHA residing at Village DIPHUPAR A, DIMAPUR NAGALAND-797115 सूचित करती हूं कि- मेरे पति के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम LOPENI ODYUO त्रुटिवश अंकित है। अत: मेरा सही नाम LOPENI LOTHA को मेरे पति के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। सत्यापित एफीडेविट नं. BX 136460 & date 23.10.2025 before district court Gwalior (M.P.)

कार्यालय,म .प्र .गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-2873...मुरैना
दिनांक-24/10/2025

सार्वजनिक सूचना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एमआईजी तृतीय-09 मयूरवन कॉलोनी मुरैना जो कि श्री आरसी चौरसिया पुत्र हरनारायण चौरसिया एवं श्रीमती कान्ता चौरसिया पत्नी श्री रमेशचंद्र चौरसिया को आवंटित किया गया था, इनके द्वारा उक्त भवन क्रं. एमआईजी तृतीय-09 श्रीमती सीमा सोनी पत्नी श्री कन्हैयालाल सोनी एवं शुभम सोनी व चिराग सोनी पुत्रगण श्री कन्हैयालाल सोनी के नाम नामांतरण/हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल संभाग-मुरैना म.प्र.

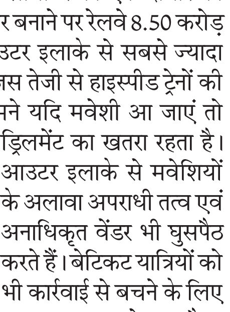

मासूम के नाक में घुसी बेर की गुठली,हालत खराब ग्वालियर रेफर

ग्वालियर- डबरा जिले के भितरवार में घर के बाहर चार वर्षीय बच्चा खेल रहा था खेलते वक्त उसकी नाक में बेर की गुठली चली गई बच्चा रोने बिलखने लगा परिजनों ने बच्चे को रोता देख कर घबरा गये और उसे तुरंत स्थानीय हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर के प्रयास से जब बच्चे की नाक से गुठली नहीं निकली और उसकी हालत खराब होने लगी तब वहां के डॉक्टरों द्वारा बच्चे को ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

मांग सूचना

motilal oswal Home Finance

कॉपोरेट कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025। ईमेलः hfquery@motilaloaswal.com
CIN No.: U65923MH2013PLC248741

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (MOHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह उचित विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत हैः

स. क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/ सह-आवेदक का नाम, गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1.	खाता संख्याः LXMOGWALIO5423-240691889 उधारकर्ताः निरंजन यादव सह-उधारकर्ताः जूली यादव	10-10-2025 / रु. 1936466/- (उन्नीस लाख छत्तीस हजार चार सौ छियासठ मात्र)	वार्ड क्र. 18 ब्लॉकपुरा संपूर्ण आवादी एम.एस.रोड के पीछे नियर बी.पी. पब्लिक स्कूल मनीष पेट्रोल पंप के पिछे ग्राम सांकरा तहसील जौरा जिला मुरैना 00 बी.पी.पब्लिक स्कूल 476001 मुरैना म.प्र.

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि MOHFL एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो MOHFL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति(संपत्तियों) पर कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उसे हस्तांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। MOHFL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, MOHFL को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य MOHFL को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत MOHFL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

ऋणकर्ता(कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत ऋणकर्ता(कों) को MOHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 25.10.2025

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लश्कर जिला ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 76 / 25-26 / अपील
ग्वालियर दिनांक 14.10.2025

रामसहाय शर्मा पुत्र श्री जमुना प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम धनेटा तहसील पोरसा जिला मुरैना ...अपीलांट

बनाम

1. रति प्रजापति पत्नी श्री हरीराम प्रजापति, 2. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री हरीराम, 3. उत्तम पुत्र स्व. श्री हरी राम, 4. रवि पुत्र स्व. श्री हरीराम, 5. लीला पुत्री स्व. श्री हरीराम, 6. शला पुत्री स्व. श्री हरीराम सभी निवासी ग्राम कॉलोनीपुरा घासमंडी (बण्डाघूरा) ग्वालियर

......रेस्पोडेंटगण

विज्ञप्ति

जर्ये सूचना समस्त रेस्पोडेंट को सूचित किया जाता हैं कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार वृत्त बहोड़ापुरा की नामांतरण पंजी क्रमांक 32 दिनांक 01.09.2018 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2018 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील प्रस्तुत की गई है। अत: आप रेस्पोडेंटगण स्वंय अथवा अपने नियुक्त अधिवक्ता सहित प्रकरण में नियत दिनांक 31/10/2025 को समय 02:30 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। यदि नियत दिनांक को शासकीय अवकाश होता हैं तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्यलयीन दिवस में की जावेगी। नियत दिनांक को अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय लिया जावेगा। यह विज्ञप्ति न्यायालय की मुद्रा सहित मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 14.10.2025 को जारी की गई ।

नरेन्द्र बाबू यादव
अनुविभागीय अधिकारी
लश्कर जिला ग्वालियर

एक नजर में

स्व .देवेन्द्र तोमर स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ

ग्वालियर-डिस्ट्रिक फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा म .प्रफुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व .देवेन्द्र सिंह तोमर स्मृति नॉर्थ जोन इंटर डिस्ट्रिक फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारम्भ जेसी मिल फुटबॉल ग्राउण्ड पर हुआ प्रथम दिवस का मैच जिला भोपाल और जिला मुरैना के मध्य खेला गया दोनों टीम बराबर पर रही दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उद्बोधन के समय भावुक होकर नम आँखों से मंचासीन होकर सबको प्रणाम कर पुन: अपना स्थान ग्रहण किया आगे कुछ बोल ही नहीं पाए कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ग्वालियर महानगर के अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति मनोज तोमर,चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स अध्यक्ष डॉ .प्रवीण अग्रवाल प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक शर्मा, अरविन्द राय सहित मंडल अध्यक्ष एवं पार्षदगण एवं वरिष्ठ जन बतौर अतिथि उपस्थित रहें कार्यक्रम का स्वागत भाषण टूर्नामेंट संरक्षक नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल जी ने दिया साथ ही खेल प्रतिवेदन जिला फुटबॉल संघ ग्वालियर के सचिव शिववीर सिंह भदौरिया ने दिया कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति अध्यक्ष रामअवतार सिंह बैस ने किया,आभार प्रदर्शन जिला फुटबॉल संघ के चीफ कोच विनय कदम ने किया

25 अक्टूबर के मैच शेड्यूल- नर्मदा पुरम एवं श्योपुर, समय दोपहर 01:00 बजे, ग्वालियर एवं सीहोर, समय दोपहर 03:00 बजे

श्री मदन मोहन मंदिर में दीपावली उत्सव एवं अन्नकूट 26 को

ग्वालियर-प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीअग्रवाल करौली पंचायत मंदिर परिसर में ही दीपावली मिलन समारोह एवं अन्नकूट 26 अक्टूबर, रविवार को मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर की साज सज्जा के साथ श्रीमदनमोहनजी को छप्पन भोग, अभिषेक, एवं आरती के पश्चात निशुल्क कूपन व्यवस्था से सदस्यों को पंगत, बैठक में अन्नकूट प्रसादी आयोजित की जाएगी श्री अग्रवाल करौली वालांन पंचायत की कार्यकारिणी ने सभी सदस्यो अन्नकूट में उपस्थित होकर अयोजन में सहभागी होने का विनम्र आग्रह किया है।

स्वच्छता, प्रदूषण और नशा मुक्ति के लिए आज कोटेश्वर मंदिर पर सुन्दरकाण्ड

ग्वालियर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर शहर को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, नशा मुक्त बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए आरंभ हुई संगीतमय रामधुन श्रृंखला में जन कल्याण समिति ग्वालियर द्वारा 25 अक्टूबर, शनिवार को कोटेश्वर महादेव मंदिर पर दोपहर 3 बजे से संगीतमय सुंदरकांड आयोजित किया गया है। इस आयोजन में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जन कल्याण समिति तैयारी कर रही है।

पालतू पशु पंजीयन चिड़ियाघर में प्रारंभ

ग्वालियर। शहर में नगर निगम द्वारा पालतू पशु कुत्ता / बिल्ली का पंजीयन का कार्य दिनांक 8 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा चुका है, जिसका मुख्य कार्यालय गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में है। नोडल अधिकारी पालतू पशु गौरव परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशन में नगर निगम ग्वालियर द्वारा पालतू पशुओं का पंजीयन कराया जा रहा है। इसके लिए शहर में समस्त पशु स्वामियों से अपील की जाती है कि वह चिड़ियाघर में उपस्थित होकर 15 दिवस के भीतर अपने कुत्ता / बिल्ली का पंजीयन आवश्यक रूप से करावें, अन्यथा पशु स्वामी से पंजीयन शुल्क का 10 गुना जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही हेतु निगम स्वंतत्र होगा। अधिक जानकारी हेतु हेल्पलाईन नं. 8435251465 पर प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक संपर्क कर सकते है। **श्वान / पशु का रजिस्ट्रीकरण / नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज:-** स्वामी का आधार कार्ड के फ्रंट और बेक साईड का फोटो / वोटरकार्ड, बिजली का बिल, ड्राइविंग लायसेंस इत्यादि एड्रेस प्रूफ के लिये। स्वामी का मोबाईल नम्बर। स्वामी का कलर फोटो (पासपोर्ट साईज) 02। श्वान / पशु का कलर फोटो (पासपोर्ट साईज) 02। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित एंटीरैबीज वैक्सीनेशन कार्ड।

सीवर सफाई और कचरा संग्रहण के कार्य में लापरवाही न बरतें : ऊर्जा मंत्री

ग्वालियर, 24 अक्टूबर. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को उप नगर ग्वालियर के पाताली हनुमान मंदिर से स्टेट बैंक चौराहा (तानसेन नगर गेट) तक ई-स्कूटी से भ्रमण करते हुए विभिन्न गली-मोहल्लों में सीवर सफाई तथा कचरा संग्रहण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सीवर सफाई व्यवस्था में खामियां देखकर नाराजगी व्यक्त की। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने जनसंपर्क के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और क्षेत्र में स्वच्छता एवं व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने आम नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जनसेवा ही मेरा संकल्प है और स्वच्छ, सुरक्षित और सशक्त ग्वालियर के निर्माण की दिशा उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। इस अवसर ऊर्जा मंत्री श्री तोमर के साथ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कांच मील, न्यू कॉलोनी स्थित अपने निज निवास पर आमजन की समस्याओं को सुना और यथा संभव निराकरण करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।

मनीष सेल्स से अब भी खरीदिये दिवाली फायदों के साथ होम एप्लायंसेस

ग्वालियर 24 अक्टूबर. अंचल के सबसे बड़े इलेक्ट्रोनिक्स शोरूम मनीष सेल्स परअब भी मिल रहे हैं दिवाली के फायदे। यहां होम एप्लायंसेस के सभी ब्राण्ड्स के प्रमुख प्रॉडक्ट्स की विशाल रेंज प्रस्तुत की गई है। मनीष सेल्स पर चल रहे दीपावली उत्सव में एलजी, सोनी, हायर, ओजनरल, वोल्टास, हिताची, मितुबिशी, डाईकिन, केल्वीनेटर, लॉयड, ब्लू स्टार, हेव्ल्स, आईएफबी, टीसीएल, एसवीएल, व्हर्लपूल, उषा, सुजाता, सिम्फनी, एओ स्मिथ, फेवर, नटराज, यूरिका फोब्स, केन्ट, रिकाल्ड, फिलिप्स, बजाज, ऑरियेन्ट, ग्लेन कम्पनियों के इलेक्ट्रोनिक्स प्रॉडक्ट्स उपलब्ध हैं। एयरकंडीशनर, वाशिंग मशीन, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन, डिशवाशर, होम थियेटर, डीप फ्रीजर, रेफिरजरेटर, कूलर, रूम हीटर, गीजर, वाटर प्यूरीफायर, घरेलू आटा चक्की, गैस चूल्हा-चिमनी, मिक्सर ग्राईण्डर सहित होम एवं पर्सनल एप्लायंसेज की विशाल रेंजआकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। मनीष सेल्स के दीपावली उत्सव में खरीदारों का भारी फायदा हो रहा है। मनीष सेल्स के संचालक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि मनीष सेल्स से इलेक्ट्रोनिक्स प्रॉडक्ट खरीदने वालों को 22 हजार रु. तक कैशबेक ऑफर मिल रहा है। मनीष सेल्स पर लोएस्ट प्राइज की गारंटी है। हर खरीद पर निश्चित उपहार खरीदार को प्राप्त हो रहा है। मनीष सेल्स अपने ग्राहकों को फ्री होम डिलेवरी की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए मनीष सेल्स पर बजाज फिनसर्व और एचडीबी फायनेन्स द्वारा फायनेन्स सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।